न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
140/2024	29.11.2024	03-2-2026

1. जुम्मा खॉ पुत्र अहमद, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सुक्या खॉ पुत्र अहमद, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. शायदा बानो पुत्री अहमद पत्नी सलीम, मुसलमान निवासी खानुवा हॉल निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
4. बतूल पत्नी अहमद, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. सजल सिंहल पुत्र सुरेश चंद सिंहल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं 4 के पति अहमद पुत्र अलादीन मुसलमान वजीरपुर की खातेदारी भूमि साबिक ख0न0 103 रकबा 1 बी[illegible]स्वा ग्राम मिर्जापुर मे स्थित है। जिसके वर्तमान सेटिलमेन्ट मे नवीन ख0न0 [illegible]235 रकबा 0.30 है0 कायम किये गये है। इसमे वादीगण का 0.03 है0 रकबा कम किया गया है उसे वर्तमान सेटिलमेन्ट ख0न0 208/1116 व [illegible] मे वाद पत्र के [illegible] संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित स्थान तक चारागाह मे दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

दिया है एवं इस गलती के आधार पर तहसीलदार गंगापुर सिटी वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण को इस गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 8.10.2024 से हुई है। वर्तमान खसरा नम्बर 208/1116 रकबा 0.25 है0, साबिक ख0न0 113/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से मिलकर बना है तथा साबिक ख0न0 113/2 का कुछ रकबा साबिक ख0न0 113/3 रकबा 10 बिस्वा नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित स्थान तक हाल ख0न0 208/1116 व 237 मे दर्ज कर दिया है। वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक ख0न0 103 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बने हाल ख0न0 235 रकबा 0.30 है0 का 0.03 है0 रकबा सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा कम किया गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर उपरोक्त वर्णित 0.03 है0 रकबे को जिसे ख0न0 208/1116 व 237 चारागाह मे दर्ज कर दिया गया है को चारागाह से कम कर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज किया जावें। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह सेटिलमेन्ट के गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण को 0.03 है0 रकबे से बेदखल नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि ग्राम मिर्जापुर की जमाबंदी वर्ष 2018 मे ख0न0 235 रकबा 0.30 है0 जुम्मा पुत्र अहमद, सूख्या खॉ पुत्र अहमद, बतूल पत्नी अहमद, शायदा पुत्री अहमद हि0 1/3 व सजल सिंहल पुत्र सुरेश चंद सिंहल हि0 2/3 के नाम दर्ज है। यह नम्बर साबिक ख0न0 103 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बना है। रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का रकबा 0.33 है0 बनता है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 0.30 है0 रकबा द[illegible] गया है जो 0.03 है0 कम रखा गया है। जमाबंदी ग्राम मिर्जापुर वर्ष 201[illegible] खाता संख्या 1 मे ख0न0 208 रकबा 0.01 है0 है जो साबिक ख0न0 112 रकबा 1 बिस्वा से बना है, ख0न0 208/1116 रकबा 0.25 है0 साबिक ख0न0 113/2 रकबा 1 बीघा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

बिस्वा से बना है, ख0न0 237 रकबा 0.12 है0 साबिक ख0न0 113/1 रकबा 10 बिस्वा से बना है। ख0न0 208/1116, 237 गैर मुमकिन चारागाह है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का रकबा 0.25 है0 बनाया है जबकि 0.31 है0 बनाना चाहिए था व 10 बिस्वा भूमि का 0.12 है0 बनाया है जबकि 0.13 है0 बनाना चाहिए था। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान ख0न0 208/11116 का रकबा 0.06 है0 व ख0न0 237 का रकबा 0.01 है0 कम रखा गया है। ख0न0 235, 237, 208/1116 का रकबा भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 0.10 है0 कम दर्ज किया गया है। जमाबंदी ग्राम मिर्जापुर वर्ष 2018 मे ख0न0 210 रकबा 0.02 है0 व ख0न0 211 रकबा 0.48 है0 बालाजी खातेदार के नाम दर्ज है। ख0न0 210 साबिक ख0न0 114 रकबा 1 बिस्वा से व ख0न0 211 साबिक ख0न0 115 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा से बना है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 1 बिस्वा का रकबा 0.02 है0 तथा 1 बीघा 11 बिस्वा का रकबा 0.48 है0 दर्ज किया गया है जबकि 1 बिस्वा का रकबा 0.01 है0 व 1 बीघा 11 बिस्वा का रकबा 0.39 है0 बनता है। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ख0न0 210 का 0.01 है0 व ख0न0 211 का रकबा 0.09 है0 कुल 0.10 है0 अधिक कायम किया गया है। साबिक एवं हॉल नक्शे का मिलान करने पर ख0न0 235 रकबा 0.03 है0, ख0न0 237, 208/1116 मे व ख0न0 208/1116 का रकबा 0.06 है0 व ख0न0 237 का 0.01 है0, ख0न0 210 व 211 मे शामिल होना प्रतीत होता है। अतः वर्तमान ख0न0 235 का रकबा 0.30 है0 के स्थान पर 0.33 है0, ख0न0 237 का रकबा 0.12 है0 के स्थान पर 0.13 है0, ख0न0 208/1116 का रकबा 0.25 है0 के स्थान पर 0.31 है0 किया जाना व ख0न0 211 का रकबा 0.48 है0 के स्थान पर 0.39 है0 व ख0न0 210 का रकबा 0.02 के स्थान पर 0.01 है0 कायम किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नजरी नक्शा प्रदर्श1, नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 354 ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श 2, नकल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

पत्रक प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2024–27 प्रदर्श 5, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 343 ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श 8 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी सूक्या पीडब्ल्यू 1 कराये है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपने जबाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किय गये है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य करायी गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस मे कहा है कि वादग्रस्त भूमि चारागाह दर्ज है। जिसकी खातेदारी नही दी जा सकती है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण वादग्रस्त भूमि ख0न0 208/1116, 237 मे से 0.03 है0 भूमि की खातेदारी चाहते है। उपरोक्त दोनो नम्बर जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 8 के अनुसार गैर मुमकिन चारागाह भूमि है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है इसलिए वादीगण को चारागाह भूमि मे से भूमि की खातेदारी घोषणा किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/2/2[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 202[illegible].02.27 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. जुम्मा खॉं पुत्र अहमद, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सुक्या खॉं पुत्र अहमद, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. शायदा बानो पुत्री अहमद पत्नी सलीम, मुसलमान निवासी खानुवा हॉल निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
4. बतूल पत्नी अहमद, मुसलमान निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. सजल सिंहल पुत्र सुरेश चंद सिंहल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —140/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई राजकीय पैरोकार मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03-2-2026 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (सिटी) गंगापुर सिटी (राज.) सत्यमेव जयते

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची	
महनताना वकील			महनतानावकील पर	
खर्चा गवाहान			ख़र्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय			बाबत इजराय	
हुक्मनामा			हुक्मनामा	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज.)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज.)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested